UPMZ010068152026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Garima Singh), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2723/2026

1. नदीम उर्फ चील पुत्र अनवार उर्फ अनवर, निवासी गली संख्या 4, मजीद नगर मेवगढ़ी, थाना लिसाडीगेट, जिला मेरठ। बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अंतर्गत धारा– 305, 317(2), 317(4) बी.एन.एस.
मु0 अ 0 सं0–13/2026
थाना–जी0 आर 0 पी0, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–01.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त नदीम उर्फ चील की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0 अ 0 सं0–13/2026, धारा– 305, 317(2), 317(4) बी.एन.एस., थाना–जी0 आर 0 पी0, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार माता के शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 12 बजे लगभग रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर आने पर उसकी पैन्ट में रखा मोबाइल बन प्लस व आधारकार्ड किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है।

3. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। वादी मुकदमा ने घटना के सम्बन्ध में थाना जी0 आर 0 पी0 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे या निशानदेही पर घटना में चोरी हुए वादी मुकदमा के मोबाइल की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व किसी भी आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा करे।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी की जेब से मोबाइल चोरी किया गया है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.06.02 09:57:31 IST
Reason: Bail order
Location: Addl District and Sessions Court-6 MZN

5. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाये।

6. जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रपत्रो के परिशीलन के विदित होता है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा की मोबाइल चोरी करने का आक्षेप है। अभियोजन द्वारा बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बताया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का विभिन्न थानो पर दर्ज पूर्व अपराधिक इतिहास बताया गया है, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अन्य सभी मामलो में जमानत पर है तथा उसे किसी भी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। धारा 317(4) बी0 एन 0 एस 0 के अतिरिक्त सभी धाराएं मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से जिला कारगार में निरुद्ध है। अतः मामले के गुणदोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त नदीम उर्फ चील की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 70,000/– रूपये (सत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के एक विश्वनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तो पर रिहा किया जाता है–

1– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहो को डराने/धमकाने अथवा प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर तथा जमानतनामें के द्वारा बंध पत्र पर अपना आधार नम्बर तथा चालू मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

जमानत आदेश की प्रति द्वारा ई–मेल जिला कारागार मुजफ्फरनगर प्रेषित की जाये।

(गरिमा सिंह प्रथम)
अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code –UP06224